२१/४/१९ उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। आवेदक के आवेदन में गुण-दोष नहीं पाने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता।

अनुदेशक.

Scanned with CamScanner